न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 16 / 2022

आविदा पत्नी वरकत जाति मेव मुसलमान निवासी महोली तहसील व थाना फिरोजपुर झिरका जिला नूंह (हरियाणा) जरिये पॉवर ऑफ एटोर्नी आविद पुत्र इस्लाम जाति मेव मुसलमान निवासी दोहा तहसील व थाना फिरोजपुर झिरका जिला नूंह (हरियाणा)।

......प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये पैरोकार, भरतपुर

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत वाहन ट्रक गुड केरियर टाटा रजि0न0 एच.आर.–74–ए–3624 वमुकदमे एफ. आई.आर. संख्या 85 / 2022 अन्तर्गत धारा 5, 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) थाना बयाना, भरतपुर।

उपस्थित :–

1. श्री राकेश शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांक 09.03.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी वाहन वाहन ट्रक गुड केरियर टाटा रजि0न0 एच.आर.–74–ए–3624 मालिक काबिज है तथा सुपुर्दगी प्राप्त करने का अधिकारी है। पुलिस थाना बयाना ने उक्त वाहन को जब्त किया है तथा प्रार्थी जरिये पॉवर एर्टोनी वाहन को सुपुर्दगी में लिये जाने समस्त हक व अधिकारी दिये गये है। वाहन पुलिस थाना बयाना में खुले में खडा हुआ है जिसके मौसम में खराब होने का पूर्ण अन्देशा है। प्रार्थी को उक्त वाहन की अपने कारोबार चलाने के लिए आवश्यकता है तथा पुलिस थाना को वाहन की आवश्यकता नही है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

वाहन ट्रक गुड केरियर टाटा रजि0न0 एच.आर.–74–ए–3624 को सुपुर्दगी दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना बयाना से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना बयाना से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 23.02.2022 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र व लिखित बहस में कथनों को दोहराते हुये कथन किया है कि वाहन ट्रक गुड केरियर टाटा रजि0न0 एच.आर.–74–ए–3624 का स्वामी है तथा सुपुर्दगी में लेने का हकदार है। प्रार्थी के उक्त वाहन की पुलिस थाना बयाना द्वारा रोक कर तलाशी ली गई तो वाहन में कोई भी गाय व गाय का बछडा आदि नही मिला और ना ही पुलिस द्वारा जब्तशुदा ट्रक से गाय आदि की बरामदगी बनाई गई है और ना ही कोई अवैध सामान बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा उक्त कार्यवाही प्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से की गई है। प्रार्थी का उक्त वाहन की मासिक किश्त जाती है, ट्रक को ज्यादा दिन खडे रहने से प्रार्थी को काफी आर्थिक हानि होगी व प्रार्थी के पास इस वाहन के अलावा आय का कोई स्रोत नही है। उक्त वाहन का रजिस्टर्ड मालिक आविदा पत्नी वरकत जाति मेव मुसलमान निवासी महोली द्वारा उक्त ट्रक को सुपुर्दगी में लिये जाने के लिए प्रार्थी के पक्ष में एक पॉवर ऑफ एटोर्नी लिख दी है जिससे वह इस वाहन को सुपुर्दगी में लिये जाने समस्त हक व अधिकार रखता है। वाहन पुलिस थाना बयाना में खुले में खडा हुआ है जिसके खराब होने का पूर्ण अन्देशा है। वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। अन्त में अभिभाषक प्रार्थी ने वाहन ट्रक गुड केरियर टाटा रजि0न0 एच.आर.–74–ए–3624 में दिये जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क दिया है कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी एवं अवैध परिवहन के लिए किया गया है। वाहन स्वामी के पास कोई रवन्ना या परमिट नही किया गया था। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन की प्रार्थी ने अपने सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र में कोई शपथ पत्र पेश नही किया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वह इस तरह के कृत्य की पुनरावृति नही करेगा। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना बयाना की रिपोर्ट व प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना बयाना की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वाहन ट्रक गुड केरियर टाटा

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

रजि0न0 एच.आर.–74–ए–3624 को जब्त किया व पूछताछ करने पर उक्त ट्रक में गायों को भरकर तस्करी करने हेतु उक्त वाहन में भरकर लाना बताया है। मौके पर 144 गाये इकट्ठी मिली व जिनकी निगरानी 3 व्यक्तियों द्वारा की जा रही थी। उक्त व्यक्तियों से पूछताछ में कोई सन्तोषजनक जबाब नही दिया। पुलिस रिपोर्ट अनुसार वाहन का गोवंश परिवहन करने का सक्षम प्राधिकारी का कोई परमिट आदि नही था। साथ ही वाहन के साथ अवैध कट्टा व जिन्दा कारतूस भी जब्त किया जिसकी आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही जैरकार है। प्रार्थी द्वारा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5 व 11 की मंशानुसार किसी भी तरह से इस प्रकार के कृत्य को साबित करने (Burden of proof) एवं संलिप्तता नही होने बाबत् कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया है जबकि इसकी जिम्मेदारी प्रार्थी की होती है। उपरोक्त प्रकरण में पुलिस अनुसंधान जारी है एवं प्रार्थी Clean hand से न्यायालय के सम्मुख तथ्यों को लेकर नही आया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का हकदार नही है। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही विचाराधीन है व ट्रायल जैरकार है, ऐसी स्थिति में जप्त गोवंश में संलिप्त वाहन ट्रक गुड केरियर टाटा रजि0न0 एच.आर.–74–ए–3624 को सुपुर्दगी में नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत् वाहन ट्रक गुड केरियर टाटा रजि0न0 एच.आर.–74–ए–3624 खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी बयाना (भरतपुर) को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर